बदलाव फर्जी व महत्वहीन निवेश रोकने के लिए सरकार का फैसला, नए निवेशकों संग समझौते पर लागू होंगे नए नियम

हर एमओयू संग कंपनी के पैन-जीएसटीएन होंगे लिंक

अभिषेक गुप्ता

लखनऊ। निवेश के नाम पर खानापूरी करने वाले समझौतों को रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने अहम फैसला लिया है। महत्वहीन और फर्जी निवेश पर लगाम के लिए समझौता पत्र (एमओयू) के साथ पहली बार कंपनी के पैन और जीएसटीएन को लिंक किया जाएगा।

कंपनी की हैसियत जानने के लिए नेटवर्थ व शेयर कैपिटल की भी जांच होगी। गंभीर समझौतों पर ध्यान देने के लिए यह पहल देश में पहली बार हो रही है। इसे नए निवेश समझौतों पर लागू किया जाएगा।

यूपी को दस खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए उद्योगों की अहम भूमिका है। इस लक्ष्य तक

पहुंचने के लिए 110 लाख करोड़ के निवेश की जरूरत है। इसे पूरा करने के लिए नए सिरे से योजनाएं बनाई गई हैं।

इसकी जिम्मेदारी इन्वेस्ट यूपी और औद्योगिक विकास विभाग को दी गई है। इसके तहत निवेश समझौतों की स्क्रूटनी की जाएगी। सिर्फ एमओयू के नाम पर की जाने वाली औपचारिकताओं पर रोक लगाई जाएगी और जल्द निवेश के ब्लूप्रिंट के साथ आने वाले निवेशकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

इसलिए बदली व्यवस्था : डाटा सेंटर के लिए अरबों का करार करके फरार होने वाली व्यूनाऊ जैसी फर्जी कंपनियों पर अंकुश लगाने के लिए एमओयू के साथ कंपनी का पैन और जीएसटीएन लिंक करने का फैसला हुआ है। नई व्यवस्था में कंपनी के प्रवर्तक का सत्यापन किया जाएगा। उनकी नेटवर्थ और शेयर कैपिटल की जांच होगी ताकि उसकी वास्तविक आर्थिक स्थिति का पता चल सके।

- निवेशक के दावों की क्रॉस चेकिंग की जाएगी। जिस सेक्टर में निवेश के लिए आवेदन किया गया है, उस सेक्टर में उसकी दक्षता, अनुभव और हिस्सेदारी भी परखी जाएगी। इन कसौटियों पर खरा उतरने वाले समझौतों को वेरिफाइड एमओयू कहा जाएगा। ये कवायद नए निवेशक समझौतों, विशेष रूप से आगामी सर्दियों में होने वाले निवेशक सम्मेलन में शुरू कर दी जाएगी।

दिल्ली, मुंबई, बंगलूरू में खुलेंगे परामर्श केंद्र

निवेशकों की सहूलियत के लिए इन्वेस्ट यूपी तीन राज्यों में अपने सेंटर खोलेगा। दिल्ली, मुंबई और बंगलूरू में खुलने वाले ये 'गाइडेंस सेल' यानी परामर्श केंद्र यूपी में आने वाले उद्यमियों की मदद करेंगे। इन केंद्रों में उद्यमियों के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पर्यावरण संबंधी क्लीयरेंस, लोन और लैंड बैंक आदि पर काम होगा। बैंकों से लोन दिलाने से लेकर जमीन आवंटन में मदद और लगातार उद्यमी के संपर्क में रहने की जिम्मेदारी इन केंद्रों की होगी। ये परामर्श केंद्र तीन राज्यों के उद्यमियों और यूपी सरकार के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का काम करेंगे।